

- <><><><><><><>

<><><><><><><>

<><><><><><><>

<><><><><><><>

<><><><><><><>

द्वीपसमूह में नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश, 2005 लागू कर दिया गया है। इसके तहत ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो हर पाँच साल में किया जाना अनिवार्य है। पंजीकृत सभी राशन कार्ड धारकों को कहा गया है कि कोई भी सदस्य अठारह वर्ष की आयु से पहले अलग राशन कार्ड रखने के लिए पात्र नहीं होगा, पाँच वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए आधार नम्बर दर्ज किया जाएगा और पाँच वर्ष की आयु पूरी होने के एक वर्ष के भीतर बच्चों के

